एजेण्डा नं. 37/डीएलबी/एसटीपी/यूडीजेड/भीण्डर

	शहर कस्बे का नाम	भीण्डर
1.	आवेदक का नाम	श्री गोकुल लाल पुत्र श्री कालू खटीक, श्री गोकुल पुत्र श्री कालू खटीक, कमला बाई पत्नि श्री उदय लाल खटीक
2.	खसरा नं./भूखण्ड नं. मय ग्राम कॉलोनी	राजस्व ग्राम भीण्डर के (1) खसरा नं0 1/1, 51, 52, 53/15 कुल रकबा 1 बीघा (2) खसरा नं0 1/1, 51, 52, 53/15/34 कुल रकबा 1 बीघा (3) खसरा नं0 1/1, 51, 52, 53/15/35 कुल रकबा 1 बीघा
3.	क्षेत्रफल	कुल 0.6483 हेक्टेयर (प्रत्येक को 0.2161 हेक्टेयर)
4.	संदर्भित भूमि का "लैण्ड यूज प्लान (2031)" में दर्शाया उपयोग	भण्डारण एवं गोदाम
5.	आवेदक द्वारा प्रस्तावित भू–उपयोग	आवासीय प्रयोजनार्थ
6.	भू–स्वामित्व की स्थिति	अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका, भीण्डर के अनुसार वैध है।
7.	**प्रकरण के तथ्य :–** 1. प्रश्नगत भूमि भीण्डर नगरीय क्षेत्र हेतु मास्टर प्लान–2031 में भण्डारण एवं गोदाम दर्शित है। मास्टर प्लान–2031 दिनांक 23.04.2012 को लागू किया गया। जिसको 2 वर्ष पूर्ण हो गये है। आवेदित स्थल मास्टर प्लान की प्रस्तावित 100 फीट रोड़ पर स्थित है। विद्यमान में सड़क की चौड़ाई 18 फीट है। पँहुच मार्ग उपलब्ध है। आवेदित भूमि में से 33 के.वी. की विद्युत लाईन गुजर रही है। 2. अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका, भीण्डर द्वारा नियमानुसार सार्वजनिक आपत्ति सूचना एक समाचार पत्र में प्रकाशित करायी गई थी। निर्धारित समयावधि में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई। 3. अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका, भीण्डर द्वारा प्रस्तुत प्रपत्र भाग "ब" के अनुसार भूमि का स्वामित्व वैद्य है। भण्डारण एवं गोदाम से आवासीय प्रयोजनार्थ भू–उपयोग परिवर्तन की अभिशंषा की है। 4. उप नगर नियोजक, उदयपुर के पत्र दिनांक 10.11.2015 द्वारा आवेदित भूमि का भण्डारण एवं गोदाम से आवासीय प्रयोजनार्थ भू–उपयोग परिवर्तन की अभिशंषा की गई है।	
8.	<u>**प्रस्ताव :–**</u> उपरोक्त बिन्दु सं. 7 के समस्त 4 तथ्यों के मद्देनजर तथा नगरीय विकास विभाग के आदेश क्रमांक प. 10(35)नविवि/3/2010 दिनांक 16.04.2010 के तहत प्रश्नगत भूमि भण्डारण एवं गोदाम से आवासीय प्रयोजनार्थ भू–उपयोग परिवर्तन किये जाने पर तकनीकी दृष्ट्या कोई आपत्ति नहीं है। <u>**भू–उपयोग परिवर्तन का औचित्यः–**</u> **आवेदित भूमि के सामने पूर्व दिशा में अनुमोदित आवासीय कॉलोनी एवं कानोड–उदयपुर रोड़ पर सार्वजनिक निर्माण विभाग का कार्यालय स्थित है एवं आसपास आवासीय कॉलोनी विकसित होने के कारण उक्त भूमि का नगर पालिका भीण्डर द्वारा भण्डारण एवं गोदाम से आवासीय प्रयोजनार्थ भू–उपयोग परिवर्तन की अभिषंशा की गई है।** अतः निम्न शर्तो के अध्यधीन आवेदित भूमि के भण्डारण एवं गोदाम से आवासीय प्रयोजनार्थ भू–उपयोग परिवर्तन की स्वीकृति दी जा सकती है :– 1.आवेदित स्थल मास्टर प्लान की प्रस्तावित 100 फीट रोड़ पर स्थित है। विद्यमान में सड़क की चौड़ाई 18 फीट है। पँहुच मार्ग उपलब्ध है। अतः सड़क के मध्य से 50 फीट में आने वाली भूमि को आवेदक द्वारा नगर पालिका के पक्ष में निःशुल्क समर्पण की जानी होगी। 2.आवेदित भूमि में से 33 के.वी. की विद्युत लाईन गुजर रही है। अतः विद्युत लाईन को अन्यत्र स्थानान्तरित कराया जायेगा अथवा विद्युत क्षमता के अनुसार आवेदित स्थल में से गुजर रही हाईटेंशन लाईन को नगरीय विकास विभाग के पत्र क्रमांकः प.18(44)नविवि/जयपुर/2014 दिनांक 03.02.2015 के अनुसार एच.टी. लाईन के नीचे सैफ्टी कॉरीडोर निर्धारित कर योजना की प्लानिंग में समायोजन किया जावेगा। 3.योजना मानचित्र का अनुमोदन टाउनशिप पॉलिसी–2010 एवं प्रचलित भवन विनियम के तहत किया जाना होगा। 4.योजना में आंतरिक सडकों के विकास में उर्जा संरक्षण हेतु सोलर एवं LED लाईट्स का उपयोग अनिवार्य रूप से सुनिश्चित किया जावेगा। समस्त आन्तरिक विकास की जिम्मेदारी प्राथी की होगी। 5.योजना का क्षैत्रफल 2 है. से कम हैं। अतः मुख्यमंत्री जन आवास योजना–2015 के प्रावधान अनुसार सम्पूर्ण योजना के विक्रय योग्य क्षैत्रफल की 10 प्रतिशत भूमि की राशि निकाय में जमा करायी जानी होगी। 6.योजना में ठोस कचरा निस्तारण हेतु भूमि का प्रावधान अनुसार समायोजन किया जावेगा। नगरीय निकाय द्वारा कचरा संग्रहण की सुगमता की दृष्टि से उक्त स्थल की स्थिति योजना में मुख्य सडक के समीप रखी जावेगी। उक्त भूमि निःशुल्क नगर पालिका को समर्पित की जावेगी। वेस्ट वाटर रिसाईक्लिंग एवं रैन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर आदि हेतु नियमानुसार प्रावधान अनिवार्य रूप से रखा जावेगा। 7.भूमि के स्वामित्व, वाद एवं क्षैत्रफल की सुनिश्चितता निकाय स्तर पर की जानी होगी। 8.उपरोक्त समस्त शर्तो की पालना स्थानीय स्तर पर सुनिश्चित की जावेगी।	
9.	उपरोक्त तथ्यों, अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका, भीण्डर एवं उप नगर नियोजक, उदयपुर की अभिशंषा तथा प्रकरण का परीक्षण पश्चात् प्रस्ताव समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।	

समिति का निर्णय :– समिति द्वारा एजेण्डा का अवलोकन किया गया तथा नगरीय निकाय व क्षेत्रीय वरिष्ठ नगर नियोजक, उदयपुर जोन, उदयपुर की अभिशंषा के अनुरूप प्रस्ताव को एजेण्डा में वर्णित शर्तो के अध्यधीन सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया।

वरिष्ठ नगर नियोजक
निदेशालय स्थानीय निकाय विभाग
राजस्थान सरकार, जयपुर

एजेण्डा नं. 38/डीएलबी/एसटीपी/यूडीजेड/निम्बाहेड़ा

	शहर कस्बे का नाम	निम्बाहेड़ा
1.	आवेदक का नाम	श्री जय कुमार पुत्र श्री विजय सिंह सिंघवी, श्रीमती जया पत्नि श्री जय कुमार, श्री रोशनलाल पुत्र श्री जीतमल खेरोदिया, श्री विपुल पुत्र श्री संजय श्रीवास्तव, श्रीमती पूनम पत्नि श्री संजय श्रीवास्तव
2.	खसरा नं./भूखण्ड नं. मय ग्राम कॉलोनी	राजस्व ग्राम ईशाकपुरा के खसरा नं0 658/602/114 रकबा 0.35 है0, 114 मी. रकबा 0.18 है0, 659/602/114 रकबा 0.35 है0, 657/602/114 रकबा 0.35 है0, 602/114 मी. रकबा 0.17 है0, 660/602/114 रकबा 0.17 है0, कुल किता 6 रकबा 1.57 है0,
3.	क्षेत्रफल	1.57 हेक्टेयर
4.	संदर्भित भूमि का "लैण्ड यूज प्लान (2031)" में दर्शाया उपयोग	सार्वजनिक एवं अर्द्धसार्वजनिक (सामान्य चिकित्सालय)
5.	आवेदक द्वारा प्रस्तावित भू–उपयोग	आवासीय प्रयोजनार्थ
6.	भू–स्वामित्व की स्थिति	अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका, निम्बाहेड़ा के अनुसार वैध है।
7.	**प्रकरण के तथ्य :–** 1. प्रश्नगत भूमि निम्बाहेड़ा नगरीय क्षेत्र हेतु मास्टर प्लान–2031 में सार्वजनिक एवं अर्द्धसार्वजनिक (सामान्य चिकित्सालय) दर्शित है। मास्टर प्लान–2031 दिनांक 05.09.2011 को लागू किया गया। जिसको 2 वर्ष पूर्ण हो गये है। आवेदित स्थल के दक्षिण दिशा में सड़क द्वारा पहुंच मार्ग उपलब्ध है। पूर्व दिशा में मास्टर प्लान की 120 फीट चौड़ी व उत्तर दिशा में मास्टर प्लान की 80 फीट चौड़ी सड़के प्रस्तावित है। 2. आवेदित स्थल के समीप ही पश्चिम व दक्षिण दिशा में मास्टर प्लान के सामान्य चिकित्सालय भू–उपयोग में गत बैठक दिनांक 30.04.2015 में राजस्व ग्राम ईशाकपुरा की आराजी नं0 608/110 व 112, 609/110 व 112, 610/110 व 112, 611/110 व 112, 612/110 व 112, 613/110 व 112, 614/110 व 112, 615/110 व 112, 616/110 व 112, 617/110 व 112, 618/110 व 112, 619/110 व 112 एव 620/110 व 112 कुल किता 13 1.64 हैक्टेयर भूमि का आवासीय प्रयोजनार्थ भू–उपयोग परिवर्तन किया जा चुका है। 3. अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका, निम्बाहेड़ा द्वारा नियमानुसार सार्वजनिक आपत्ति सूचना दो राज्य स्तरीय समाचार पत्र राजस्थान किरण व समाचार जगत में क्रमशः दिनांक 30.04.2015 व 29.04.2015 को प्रकाशित करायी गई थी। निर्धारित समयावधि में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई। 4. अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका, निम्बाहेड़ा द्वारा प्रस्तुत प्रपत्र भाग "ब" के अनुसार भूमि का स्वामित्व वैद्य है। सार्वजनिक एवं अर्द्धसार्वजनिक (सामान्य चिकित्सालय) से आवासीय प्रयोजनार्थ भू–उपयोग परिवर्तन की अभिशंषा की है। 5. उप नगर नियोजक, उदयपुर के पत्र दिनांक 09.12.15 द्वारा आवेदित भूमि का सार्वजनिक एवं अर्द्धसार्वजनिक (सामान्य चिकित्सालय) से आवासीय प्रयोजनार्थ भू–उपयोग परिवर्तन की अभिशंषा की गई है।	
8.	**प्रस्ताव :–** उपरोक्त बिन्दु सं. 7 के समस्त 4 तथ्यों के मद्देनजर तथा नगरीय विकास विभाग के आदेश कमांक प. 10(35)नविवि/3/2010 दिनांक 16.04.2010 के तहत प्रश्नगत भूमि सार्वजनिक एवं अर्द्धसार्वजनिक (सामान्य चिकित्सालय) से आवासीय प्रयोजनार्थ भू–उपयोग परिवर्तन किये जाने पर तकनीकी दृष्टया कोई आपत्ति नहीं है। **भू–उपयोग परिवर्तन का औचित्यः–** **आवेदित भूमि के आस–पास आवासीय कॉलोनियॉ पूर्व में रूपान्तरित है। अतः उपरोक्त तथ्यों के मध्यनजर भविष्य की आवश्यकता एवं सुनियोजित विकास की दृष्टि से तथा उक्त भू–उपयोग परिवर्तन के पश्चात भी चिकित्सालय हेतु मास्टर प्लान के प्रस्तावों में अन्य भूमि के मध्यनजर आवेदित भूमि का नगर पालिका निम्बाहेड़ा द्वारा सार्वजनिक एवं अर्द्धसार्वजनिक (सामान्य चिकित्सालय) से आवासीय प्रयोजनार्थ भू–उपयोग परिवर्तन की अभिषंशा की गई है।** अतः निम्न शर्तो के अध्यधीन आवेदित भूमि के सार्वजनिक एवं अर्द्धसार्वजनिक (सामान्य चिकित्सालय) से आवासीय प्रयोजनार्थ भू–उपयोग परिवर्तन की स्वीकृति दी जा सकती है :– 1. आवेदित स्थल के दक्षिण दिशा में सड़क द्वारा पहुंच मार्ग उपलब्ध है। जिसका मार्गाधिकार 60 फीट रखा जाना प्रस्तावित है। पूर्व दिशा में मास्टर प्लान की 120 फीट चौड़ी व उत्तर दिशा में मास्टर प्लान की 80 फीट चौड़ी सड़के प्रस्तावित है। अतः मुख्य सड़क के मध्य से 30 फीट में आने वाली भूमि व मास्टर प्लान में प्रस्तावित 120 फीट एवं 80 फीट चौड़ी सड़कों के अन्तर्गत आने वाली भूमि को आवेदक द्वारा नगर पालिका के पक्ष में निःशुल्क समर्पण की जानी होगी। 2. संयुक्त रूप से आवेदित भूमि का भू–उपयोग परिवर्तन किये जाने के पश्चात भूमि का ईकजाई योजना मानचित्र का अनुमोदन टाउनशिप पॉलिसी–2010 एवं प्रचलित भवन विनियम के तहत किया जाना होगा। 3. योजना में आंतरिक सडकों के विकास में ऊर्जा संरक्षण हेतु सोलर एवं LED लाईट्स का उपयोग अनिवार्य रूप से सुनिश्चित किया जावेगा। समस्त आन्तरिक विकास की जिम्मेदारी प्राथी की होगी। 4. योजना का क्षैत्रफल 1 है. से अधिक किन्तु 2 है. से कम है। अतः शहरी क्षैत्र के आवासहीन गरीब वर्ग को आवास सुविधा उपलब्ध कराने हेतु 300 वर्गमीटर भूमि नगर निकाय के हक में निःशुल्क समर्पित की जानी होगी। इस भूमि पर निकाय द्वारा केन्द्र/राज्य सरकार की वित्तीय सहायता से रैन बसेरा का निर्माण किया जावेगा। योजना का क्षैत्रफल 2 है. से कम है, मुख्यमंत्री जन आवास योजना–2015 के प्रावधान अनुसार 2 है. से कम की स्वतंत्र आवासीय योजना में सम्पूर्ण योजना के विक्रय योग्य क्षैत्रफल के 10 प्रतिशत भूमि की राशि निकाय में जमा कराई जानी होगी। चुंकि योजना में प्रार्थी से 300 वर्गमीटर भूमि निःशुल्क रैन बसेरा हेतु छुड़वाई जा रही है। अतः 10 प्रतिशत भूमि में से 300 वर्गमीटर भूमि के क्षैत्रफल को घटाते हुये शेष भूमि की ही राशि निकाय में जमा करायी जानी होगी। 5. योजना में ठोस कचरा निस्तारण हेतु भूमि का प्रावधान अनुसार समायोजन किया जावेगा। नगरीय निकाय द्वारा कचरा संग्रहण की सुगमता की दृष्टि से उक्त स्थल की स्थिति योजना में मुख्य सडक के समीप रखी जावेगी। उक्त भूमि निःशुल्क नगर पालिका को समर्पित की जावेगी। वेस्ट वाटर रिसाईक्लिंग एवं रैन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर आदि हेतु नियमानुसार प्रावधान अनिवार्य रूप से रखा जावेगा। 6. भूमि के स्वामित्व, वाद एवं क्षेत्रफल की सुनिश्चितता निकाय स्तर पर की जानी होगी। 7. उपरोक्त समस्त शर्तो की पालना स्थानीय स्तर पर सुनिश्चित की जावेगी।	
9.	उपरोक्त तथ्यों, अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका, निम्बाहेड़ा एवं उप नगर नियोजक, उदयपुर की अभिशंषा तथा प्रकरण का परीक्षण पश्चात् प्रस्ताव समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।	

समिति का निर्णय :– समिति द्वारा एजेण्डा का अवलोकन किया गया तथा नगरीय निकाय व क्षेत्रीय वरिष्ठ नगर नियोजक, उदयपुर जोन, उदयपुर की अभिशंषा के अनुरूप प्रस्ताव को एजेण्डा में वर्णित शर्तो के अध्यधीन सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया।

राज्य सरकार का निर्णय :–

नगरीय विकास विभाग, राजस्थान सरकार हेतु गठित राज्य स्तरीय भू–उपयोग परिवर्तन समिति द्वारा पार्क, खुले स्थल खैल के मैदान, सामुदायिक सुविधाऐं मय राजकीय/अर्द्धराजकीय कार्यालयों हेतु भू–उपयोगों का भू–उपयोग परिवर्तन नहीं किया जा रहा हैं। अतः नगरीय विकास विभाग एवं स्वायत्त शासन विभाग की समितियों के निर्णयों में एकरूपता रखे जाने की दृष्टि से उपरोक्त भू–उपयोग परिवर्तन के प्रकरण में अनुमोदन पर विचार नही किये जाने का निर्णय लिया गया हैं।

वरिष्ठ नगर नियोजक
निदेशालय स्थानीय निकाय विभाग
राजस्थान सरकार जयपुर

एजेण्डा नं. 39/डीएलबी/एसटीपी/यूडीजेड/कपासन

	शहर कस्बे का नाम	कपासन
1.	आवेदक का नाम	श्री श्याम सुन्दर, रमेश कुमार, राजेन्द्र कुमार पिता श्री मांगीलाल राठी
2.	खसरा नं./भूखण्ड नं. मय ग्राम कॉलोनी	राजस्व ग्राम कपासन के आराजी संख्या 5934/1, 6864/5934, 5935 कुल क्षेत्रफल 0.92 हैक्टेयर
3.	क्षेत्रफल	0.92 हैक्टेयर
4.	संदर्भित भूमि का "लैण्ड यूज प्लान (2023)" में दर्शाया उपयोग	बाग, खुले स्थल एवं खेल के मैदान, स्टेडियम एवं अन्य सामुदायिक सुविधायें।
5.	प्रस्तावित भू–उपयोग	आवासीय प्रयोजनार्थ
6.	भू–स्वामित्व की स्थिति	अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका, कपासन के अनुसार वैध है।

7. **प्रकरण के तथ्य :–**

1. प्रश्नगत भूमि कपासन नगरीय क्षेत्र हेतु मास्टर प्लान–2023 में बाग, खुले स्थल एवं खेल के मैदान, स्टेडियम एवं अन्य सामुदायिक सुविधायें दर्शित है। मास्टर प्लान–2023 दिनांक 02.09.04 से लागू है, जिसको 2 वर्ष पूर्ण हो चुके है। आवेदित भूमि राज्य राजमार्ग संख्या–9 पर स्थित है। पहुंच मार्ग उपलब्ध है। जिसका मार्गाधिकार मास्टर प्लान के अनुसार 200 फीट प्रस्तावित है। आवेदित स्थल के पूर्व दिशा में मास्टर प्लान की 100 फीट चौड़ी सड़क प्रस्तावित है। आवेदित भूमि में से 11 के. वी. की विद्युत लाईन गुजर रही है। आवेदित भूमि के पास से एक नाला गुजर रहा है जो अरनिया बांध के केचमेन्ट एरिया के अन्तर्गत है।
2. अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका, कपासन द्वारा नियमानुसार सार्वजनिक आपत्ति सूचना दो राज्य स्तरीय समाचार पत्रों राष्ट्रदूत व उदयपुर एक्सप्रेस में दिनांक 05.05.15 को प्रकाशित कराई गई है। जिसमें निर्धारित समयावधि में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई। पुनः सार्वजनिक सूचना दो राज्य स्तरीय समाचार पत्र राष्ट्रदूत व जननायक में दिनांक 18.11.2015 को प्रकाशित कराई गई है। निर्धारित समयावधि में दो आपत्ति प्राप्त हुई जिसका स्थानीय स्तर पर निस्तारण किया गया।
3. अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका, कपासन द्वारा बाग, खुले स्थल एवं खेल के मैदान, स्टेडियम एवं अन्य सामुदायिक सुविधायें से आवासीय प्रयोजनार्थ भू–उपयोग परिवर्तन किये जाने की स्पष्ट अभिशंषा भाग "ब" में प्रस्तुत की गई है।
4. उप नगर नियोजक, उदयपुर के पत्र दिनांक 14.07.15 में कतिपय शर्तो के अध्यधीन आवेदित भूमि का बाग, खुले स्थल एवं खेल के मैदान, स्टेडियम एवं अन्य सामुदायिक सुविधायें से आवासीय प्रयोजनार्थ भू–उपयोग परिवर्तन की अभिशंषा की गई है।

8. **प्रस्ताव :–**

उपरोक्त बिन्दु सं. 7 के समस्त 4 तथ्यों के मद्देनजर तथा नगरीय विकास विभाग के आदेश क्रमांक प.10(35)नविवि/3/2010 दिनांक 16.04.2010 के तहत प्रश्नगत भूमि बाग, खुले स्थल एवं खेल के मैदान, स्टेडियम एवं अन्य सामुदायिक सुविधायें से आवासीय प्रयोजनार्थ भू–उपयोग परिवर्तन किये जाने पर तकनीकी दृष्ट्या कोई आपत्ति नही है।

<u>भू–उपयोग परिवर्तन का औचित्यः–</u>

आवेदित भूमि राज्य राजमार्ग संख्या–9 पर स्थित है। कपासन नगर का मुख्य विस्तार की दिशा राज्य राजमार्ग संख्या–9 की तरफ ही है। राज्य राजमार्ग संख्या–9 चितौड़गढ़ से उदयपुर को जाता है। उक्त राजमार्ग के दक्षिण में भी कपासन दरगाह की वजह से काफी विकास हो रहा है। यह दरगाह सावलियाजी रोड पर स्थित है। अतः तीव्र गति से हो रहे विकास के मध्यनजर आवेदित भूमि का बाग, खुले स्थल एवं खेल के मैदान, स्टेडियम एवं अन्य सामुदायिक सुविधायें से आवासीय प्रयोजनार्थ भू–उपयोग परिवर्तन किया जाना उचित होगा।

अतः निम्न शर्तो के अध्यधीन आवेदित भूमि के बाग, खुले स्थल एवं खेल के मैदान, स्टेडियम एवं अन्य सामुदायिक सुविधायें से आवासीय प्रयोजनार्थ भू–उपयोग परिवर्तन की स्वीकृति दी जा सकती है :–

1. आवेदित भूमि राज्य राजमार्ग संख्या–9 पर स्थित है। जिसका मार्गाधिकार मास्टर प्लान के अनुसार 200 फीट प्रस्तावित है। अतः सड़क के मध्य से 100 फीट दूरी तक आने वाली भूमि को आवेदक द्वारा नगर पालिका के पक्ष में निःशुल्क समर्पण की जानी होगी। प्रश्नगत भूमि में से गुजरने वाली मास्टर प्लान की प्रस्तावित 100 फीट सड़क के अन्तर्गत आने वाली भूमि को आवेदक द्वारा नगर पालिका के पक्ष में निःशुल्क समर्पण की जानी होगी।
2. आवेदित भूमि के पास से एक नाला गुजर रहा है जो अरनिया बांध के केचमेन्ट एरिया के अन्तर्गत है। आवेदक द्वारा नाले के सहारे–सहारे वृक्षारोपण करवाया जाना होगा।
3. प्रश्नगत भूमि में से 11 के.वी. की विद्युत लाईन गुजर रही है। अतः विद्युत लाईन को अन्यत्र स्थानान्तरित कराया जायेगा अथवा विद्युत क्षमता के अनुसार आवेदित स्थल में से गुजर रही हाईटेंशन लाईन को नगरीय विकास विभाग के पत्र कमांकः प. 18(44)नविवि/जयपुर/2014 दिनांक 03.02.2015 के अनुसार एच.टी. लाईन के नीचे सैफ्टी कॉरीडोर निर्धारित कर योजना की प्लानिंग में समायोजन किया जावेगा।
4. योजना मानचित्र का अनुमोदन टाउनशिप पॉलिसी–2010 एवं प्रचलित भवन विनियम के तहत किया जाना होगा।
5. योजना में आंतरिक सडकों के विकास में उर्जा संरक्षण हेतु सोलर एवं LED लाईट्स का उपयोग अनिवार्य रूप से सुनिश्चित किया जावेगा। समस्त आन्तरिक विकास की जिम्मेदारी प्राथी की होगी।
6. योजना का क्षैत्रफल 2 है. से कम हैं। अतः मुख्यमंत्री जन आवास योजना–2015 के प्रावधान अनुसार सम्पूर्ण योजना के विक्रय योग्य क्षैत्रफल की 10 प्रतिशत भूमि की राशि निकाय में जमा करायी जानी होगी।
7. योजना में ठोस कचरा निस्तारण हेतु भूमि का प्रावधान अनुसार समायोजन किया जावेगा। नगरीय निकाय द्वारा कचरा संग्रहण की सुगमता की दृष्टि से उक्त स्थल की स्थिति योजना में मुख्य सडक के समीप रखी जावेगी। उक्त भूमि निःशुल्क नगर पालिका को समर्पित की जावेगी। वेस्ट वाटर रिसाईक्लिंग एवं रैन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर आदि हेतु नियमानुसार प्रावधान अनिवार्य रूप से रखा जावेगा।
8. भूमि के स्वामित्व, वाद एवं क्षैत्रफल की सुनिश्चितता निकाय स्तर पर की जानी होगी।
9. उपरोक्त समस्त शर्तो की पालना स्थानीय स्तर पर सुनिश्चित की जावेगी।

9. उपरोक्त तथ्यों, अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका, कपासन एवं उप नगर नियोजक, उदयपुर की अभिशंषा तथा प्रकरण का परीक्षण पश्चात् प्रस्ताव समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

समिति का निर्णय :– समिति द्वारा एजेण्डा का अवलोकन किया गया तथा नगरीय निकाय व क्षेत्रीय वरिष्ठ नगर नियोजक, उदयपुर जोन, उदयपुर की अभिशंषा के अनुरूप प्रस्ताव को एजेण्डा में वर्णित शर्तो के अध्यधीन सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया।

<u>राज्य सरकार का निर्णय :–</u>

नगरीय विकास विभाग, राजस्थान सरकार हेतु गठित राज्य स्तरीय भू–उपयोग परिवर्तन समिति द्वारा पार्क, खुले स्थल खैल के मैदान, सामुदायिक सुविधाऐं मय राजकीय/अर्द्धराजकीय कार्यालयों हेतु भू–उपयोगों का भू–उपयोग परिवर्तन नहीं किया जा रहा हैं। अतः नगरीय विकास विभाग एवं स्वायत्त शासन विभाग की समितियों के निर्णयों में एकरूपता रखे जाने की दृष्टि से उपरोक्त भू–उपयोग परिवर्तन के प्रकरण में अनुमोदन पर विचार नही किये जाने का निर्णय लिया गया हैं।

वरिष्ठ नगर नियोजक
निदेशालय स्थानीय निकाय विभाग
राजस्थान सरकार, जयपुर

एजेण्डा नं. 40/डीएलबी/एसटीपी/यूडीजेड/बड़ी सादड़ी

	शहर कस्बे का नाम	बड़ी सादड़ी
1.	आवेदक का नाम	श्री गणेश पुत्र श्री परथा मीणा
2.	खसरा नं./भूखण्ड नं. मय ग्राम कॉलोनी	राजस्व ग्राम बड़ी सादड़ी के खसरा नं. 1182 रकबा 0.20 हैक्टेयर
3.	क्षेत्रफल	0.20 हैक्टेयर
4.	संदर्भित भूमि का "लैण्ड यूज प्लान (2031)" में दर्शाया उपयोग	परिधि नियन्त्रण क्षेत्र
5.	प्रस्तावित भू–उपयोग	आवासीय प्रयोजनार्थ
6.	भू–स्वामित्व की स्थिति	अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका, बड़ी सादड़ी के अनुसार वैध है।

7. **प्रकरण के तथ्य :–**

1. प्रश्नगत भूमि बड़ी सादड़ी नगरीय क्षेत्र हेतु मास्टर प्लान–2031 में परिधि नियन्त्रण क्षेत्र दर्शित है। मास्टर प्लान–2031 दिनांक 31.12.2013 से लागू है, जिसको 2 वर्ष पूर्ण हो चुके है। आवेदित भूमि बड़ी सादड़ी से चित्तौड़गढ़ मुख्य सड़क से कालीमंगलिया को जाने वाले कच्चे रास्ते पर स्थित है। जिसका मार्गाधिकार 60 फीट रखा जाना प्रस्तावित है। आवेदित भूमि में से एल.टी. विद्युत लाईन गुजर रही है।
2. अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका, बड़ी सादड़ी द्वारा नियमानुसार सार्वजनिक आपत्ति सूचना एक राज्य स्तरीय समाचार पत्र में दिनांक 20.05.2015 को प्रकाशित कराई गई।
3. अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका, बड़ी सादड़ी द्वारा परिधि नियन्त्रण क्षेत्र से आवासीय प्रयोजनार्थ भू–उपयोग परिवर्तन किये जाने की स्पष्ट अभिशंषा भाग "ब" में प्रस्तुत की गई है।
4. उप नगर नियोजक, उदयपुर के पत्र दिनांक 27.11.2015 में कतिपय शर्तो के अध्यधीन आवेदित भूमि का परिधि नियन्त्रण क्षेत्र से आवासीय प्रयोजनार्थ भू–उपयोग परिवर्तन की अभिशंषा की गई है।

8. **प्रस्ताव :–**

उपरोक्त बिन्दु सं. 7 के समस्त 4 तथ्यों के मद्देनजर तथा नगरीय विकास विभाग के आदेश क्रमांक प. 10(35)नविवि/3/2010 दिनांक 16.04.2010 के तहत प्रश्नगत भूमि परिधि नियन्त्रण क्षेत्र से आवासीय प्रयोजनार्थ भू–उपयोग परिवर्तन किये जाने पर तकनीकी दृष्ट्या कोई आपत्ति नही है।

भू–उपयोग परिवर्तन का औचित्यः–

नगर पालिका अनुसार आवेदित भूमि के आस–पास आवासीय गतिविधियां व वाणिज्यिक गतिविधियां छितराये रूप में विकसित होकर संचालित है। आवेदित भूमि को भविष्य की आवश्यकता एवं सुनियोजित विकास के मध्यनजर आवेदित भूमि का परिधि नियन्त्रण क्षेत्र से आवासीय प्रयोजनार्थ भू–उपयोग परिवर्तन किया जाना उचित होगा।

अतः निम्न शर्तो के अध्यधीन आवेदित भूमि के परिधि नियन्त्रण क्षेत्र से आवासीय प्रयोजनार्थ भू–उपयोग परिवर्तन की स्वीकृति दी जा सकती है :–

1. आवेदित भूमि बड़ी सादड़ी से चित्तौड़गढ़ मुख्य सड़क से कालीमंगलिया को जाने वाले कच्चे रास्ते पर स्थित है। जिसका मार्गाधिकार 60 फीट रखा जाना प्रस्तावित है। अतः राजस्व रास्ते के मध्य से 30 फीट की दूरी तक आने वाली भूमि को आवेदक द्वारा नगर पालिका के पक्ष में निःशुल्क समर्पण की जानी होगी।
2. प्रश्नगत भूमि में से विद्युत लाईन गुजर रही है। अतः विद्युत लाईन को अन्यत्र स्थानान्तरित कराया जायेगा अथवा विद्युत क्षमता के अनुसार आवेदित स्थल में से गुजर रही एल.टी. लाईन को नगरीय विकास विभाग के पत्र क्रमांकः प.18(44)नविवि/जयपुर/2014 दिनांक 03.02.2015 के अनुसार एल.टी. लाईन के नीचे सैफ्टी कॉरीडोर निर्धारित कर योजना की प्लानिंग में समायोजन किया जावेगा।
3. योजना मानचित्र का अनुमोदन टाउनशिप पॉलिसी–2010 एवं प्रचलित भवन विनियम के तहत किया जाना होगा।
4. योजना का क्षैत्रफल 2 है. से कम हैं। अतः मुख्यमंत्री जन आवास योजना–2015 के प्रावधान अनुसार सम्पूर्ण योजना के विक्रय योग्य क्षैत्रफल की 10 प्रतिशत भूमि की राशि निकाय में जमा करायी जानी होगी।
5. योजना में आंतरिक सडकों के विकास में उर्जा संरक्षण हेतु सोलर एवं LED लाईट्स का उपयोग अनिवार्य रूप से सुनिश्चित किया जावेगा। समस्त आन्तरिक विकास की जिम्मेदारी प्राथी की होगी।
6. योजना में ठोस कचरा निस्तारण हेतु भूमि का प्रावधान अनुसार समायोजन किया जावेगा। नगरीय निकाय द्वारा कचरा संग्रहण की सुगमता की दृष्टि से उक्त स्थल की स्थिति योजना में मुख्य सडक के समीप रखी जावेगी। उक्त भूमि निःशुल्क नगर पालिका को समर्पित की जावेगी। वेस्ट वाटर रिसाईक्लिंग एवं रैन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर आदि हेतु नियमानुसार प्रावधांन अनिवार्य रूप से रखा जावेगा।
7. भूमि के स्वामित्व, वाद, क्षैत्रफल, नदी, नाले, वाटर बोडिज, डूब क्षेत्र आदि की सुनिश्चितता निकाय स्तर पर की जानी होगी।
8. उपरोक्त समस्त शर्तो की पालना स्थानीय स्तर पर सुनिश्चित की जावेगी।

9. उपरोक्त तथ्यों, अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका, बड़ी सादड़ी एवं उप नगर नियोजक, उदयपुर की अभिशंषा तथा प्रकरण का परीक्षण पश्चात् प्रस्ताव समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

समिति का निर्णय :– समिति द्वारा एजेण्डा का अवलोकन किया गया तथा नगरीय निकाय व क्षेत्रीय वरिष्ठ नगर नियोजक, उदयपुर जोन, उदयपुर की अभिशंषा के अनुरूप प्रस्ताव को एजेण्डा में वर्णित शर्तो के अध्यधीन सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया।

वरिष्ठ नगर नियोजक
निदेशालय स्थानीय निकाय विभाग
राजस्थान सरकार, जयपुर

एजेण्डा नं. 41/डीएलबी/एसटीपी/यूडीजेड/सलूम्बर

	शहर कस्बे का नाम	सलूम्बर
1.	आवेदक का नाम	श्रीमती हुरजदेवी पत्नी श्री तेजाजी मीणा
2.	खसरा नं./भूखण्ड नं. मय ग्राम कॉलोनी	राजस्व ग्राम मानपुरा के आराजी नम्बर 885, 886, 888, 1199, 1200/1, कुल किता 5 रकबा 0.56 हैक्टेयर
3.	क्षेत्रफल	0.56 हैक्टेयर
4.	संदर्भित भूमि का "लैण्ड यूज प्लान (2031)" में दर्शाया उपयोग	परिधि नियन्त्रण क्षेत्र
5.	प्रस्तावित भू–उपयोग	आवासीय प्रयोजनार्थ
6.	भू–स्वामित्व की स्थिति	अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका, सलूम्बर के अनुसार वैध है।

7\. **प्रकरण के तथ्य :–**

5. प्रश्नगत भूमि सलूम्बर नगरीय क्षेत्र हेतु मास्टर प्लान–2031 में परिधि नियन्त्रण क्षेत्र दर्शित है। मास्टर प्लान–2031 दिनांक 06.02.2007 से लागू है, जिसको 2 वर्ष पूर्ण हो चुके है। आवेदित भूमि बांसवाड़ा– कीर की चौकी जाने वाली बाईपास पर स्थित है। बाईपास का मार्गाधिकार 200 फीट प्रस्तावित है एवं मुख्य मार्ग से पूर्व दिशा की तरफ जाने वाले राजस्व रास्ते का मार्गाधिकार 60 फीट प्रस्तावित है। आवेदित भूमि में से विद्युत लाईन गुजर रही है।
6. अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका, सलूम्बर द्वारा नियमानुसार सार्वजनिक आपत्ति सूचना एक राज्य स्तरीय समाचार पत्र राजस्थान पत्रिका में दिनांक 03.07.2015 को प्रकाशित कराई गई। निर्धारित समयावधि में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई।
7. अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका, सलूम्बर द्वारा परिधि नियन्त्रण क्षेत्र से आवासीय प्रयोजनार्थ भू–उपयोग परिवर्तन किये जाने की स्पष्ट अभिशंषा भाग ''ब'' में प्रस्तुत की गई है।
8. उप नगर नियोजक, उदयपुर के पत्र दिनांक 20.11.2015 में कतिपय शर्तो के अध्यधीन आवेदित भूमि का परिधि नियन्त्रण क्षेत्र से आवासीय प्रयोजनार्थ भू–उपयोग परिवर्तन की अभिशंषा की गई है।

8\. **प्रस्ताव :–**

उपरोक्त बिन्दु सं. 7 के समस्त 4 तथ्यों के मद्देनजर तथा नगरीय विकास विभाग के आदेश क्रमांक प. 10(35)नविवि/3/2010 दिनांक 16.04.2010 के तहत प्रश्नगत भूमि परिधि नियन्त्रण क्षेत्र से आवासीय प्रयोजनार्थ भू–उपयोग परिवर्तन किये जाने पर तकनीकी दृष्ट्या कोई आपत्ति नही है।

भू–उपयोग परिवर्तन का औचित्यः–

आवेदित भूमि के आस–पास आवासीय रूपान्तरण/नियमन एवं प्रश्नगत भूमि के पास ग्रामीण आबादी विस्तार व 200 फीट बाईपास के मध्यनजर आवेदित भूमि का परिधि नियन्त्रण क्षेत्र से आवासीय प्रयोजनार्थ भू–उपयोग परिवर्तन किया जाना उचित होगा।

अतः निम्न शर्तो के अध्यधीन आवेदित भूमि के परिधि नियन्त्रण क्षेत्र से आवासीय प्रयोजनार्थ भू–उपयोग परिवर्तन की स्वीकृति दी जा सकती है :–

1. आवेदित भूमि बांसवाड़ा– कीर की चौकी जाने वाली बाईपास पर स्थित है। बाईपास का मार्गाधिकार 200 फीट प्रस्तावित है एवं मुख्य मार्ग से पूर्व दिशा की तरफ जाने वाले राजस्व रास्ते का मार्गाधिकार 60 फीट प्रस्तावित है। अतः सड़क के मध्य से 100 फीट एवं राजस्व रास्ते के मध्य से 30 फीट की दूरी तक आने वाली भूमि को आवेदक द्वारा नगर पालिका के पक्ष में निःशुल्क समर्पण की जानी होगी।
2. प्रश्नगत भूमि में से विद्युत लाईन गुजर रही है। अतः विद्युत लाईन को अन्यत्र स्थानान्तरित कराया जायेगा अथवा विद्युत क्षमता के अनुसार आवेदित स्थल में से गुजर रही हाईटेंशन लाईन को नगरीय विकास विभाग के पत्र कमांकः प.18(44)नविवि/जयपुर/2014 दिनांक 03.02.2015 के अनुसार एच.टी. लाईन के नीचे सैफ्टी कॉरीडोर निर्धारित कर योजना की प्लानिंग में समायोजन किया जावेगा।
3. योजना मानचित्र का अनुमोदन टाउनशिप पॉलिसी–2010 एवं प्रचलित भवन विनियम के तहत किया जाना होगा।
4. योजना में आंतरिक सडकों के विकास में उर्जा संरक्षण हेतु सोलर एवं LED लाईट्स का उपयोग अनिवार्य रूप से सुनिश्चित किया जावेगा। समस्त आन्तरिक विकास की जिम्मेदारी प्राथी की होगी।
5. योजना का क्षैत्रफल 2 है. से कम हैं। अतः मुख्यमंत्री जन आवास योजना–2015 के प्रावधान अनुसार सम्पूर्ण योजना के विक्रय योग्य क्षैत्रफल की 10 प्रतिशत भूमि की राशि निकाय में जमा करायी जानी होगी।
6. योजना में ठोस कचरा निस्तारण हेतु भूमि का प्रावधान अनुसार समायोजन किया जावेगा। नगरीय निकाय द्वारा कचरा संग्रहण की सुगमता की दृष्टि से उक्त स्थल की स्थिति योजना में मुख्य सडक के समीप रखी जावेगी। उक्त भूमि निःशुल्क नगर पालिका को समर्पित की जावेगी। वेस्ट वाटर रिसाईक्लिंग एवं रैन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर आदि हेतु नियमानुसार प्रावधान अनिवार्य रूप से रखा जावेगा।
7. भूमि के स्वामित्व, वाद, क्षैत्रफल, नदी, नाले, वाटर बोडिज, डूब क्षेत्र आदि की सुनिश्चितता निकाय स्तर पर की जानी होगी।
8. उपरोक्त समस्त शर्तो की पालना स्थानीय स्तर पर सुनिश्चित की जावेगी।

9\. उपरोक्त तथ्यों, अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका, सलूम्बर एवं उप नगर नियोजक, उदयपुर की अभिशंषा तथा प्रकरण का परीक्षण पश्चात् प्रस्ताव समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

समिति का निर्णय :– समिति द्वारा एजेण्डा का अवलोकन किया गया तथा नगरीय निकाय व क्षेत्रीय वरिष्ठ नगर नियोजक, उदयपुर जोन, उदयपुर की अभिशंषा के अनुरूप प्रस्ताव को एजेण्डा में वर्णित शर्तो के अध्यधीन सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया।

वरिष्ठ नगर नियोजक
निदेशालय स्थानीय निकाय विभाग
राजस्थान सरकार, जयपुर

एजेण्डा नं. 42/डीएलबी/एसटीपी/यूडीजेड/सलूम्बर

	शहर कस्बे का नाम	सलूम्बर
1.	आवेदक का नाम	श्री खेमराज पुत्र श्री अमराजी मीणा
2.	खसरा नं./भूखण्ड नं. मय ग्राम कॉलोनी	राजस्व ग्राम नयागांव के आराजी नम्बर 739/251/1 कुल किता 1 रकबा 0.12 हैक्टेयर
3.	क्षेत्रफल	0.12 हैक्टेयर
4.	संदर्भित भूमि का "लैण्ड यूज प्लान (2031)" में दर्शाया उपयोग	परिधि नियन्त्रण क्षेत्र
5.	प्रस्तावित भू–उपयोग	आवासीय प्रयोजनार्थ
6.	भू–स्वामित्व की स्थिति	अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका, सलूम्बर के अनुसार वैध है।

7. **प्रकरण के तथ्य :–**

1. प्रश्नगत भूमि सलूम्बर नगरीय क्षेत्र हेतु मास्टर प्लान–2031 में परिधि नियन्त्रण क्षेत्र दर्शित है। मास्टर प्लान–2031 दिनांक 06.02.2007 से लागू है, जिसको 2 वर्ष पूर्ण हो चुके है। आवेदित भूमि बांसवाड़ा–कीर की चौकी जाने वाली बाईपास पर स्थित है। बाईपास का मार्गाधिकार 200 फीट प्रस्तावित है। आवेदित भूमि में से एक 3–4 फीट चौड़ी नहर गुजर रही है।
2. अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका, सलूम्बर द्वारा नियमानुसार सार्वजनिक आपत्ति सूचना एक राज्य स्तरीय समाचार पत्र में दिनांक 20.10.2015 को प्रकाशित कराई गई। निर्धारित समयावधि में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई।
3. अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका, सलूम्बर द्वारा परिधि नियन्त्रण क्षेत्र से आवासीय प्रयोजनार्थ भू–उपयोग परिवर्तन किये जाने की स्पष्ट अभिशंषा भाग "ब" में प्रस्तुत की गई है।
4. उप नगर नियोजक, उदयपुर के पत्र दिनांक 21.01.2016 में कतिपय शर्तो के अध्यधीन आवेदित भूमि का परिधि नियन्त्रण क्षेत्र से आवासीय प्रयोजनार्थ भू–उपयोग परिवर्तन की अभिशंषा की गई है।

8. **प्रस्ताव :–**

उपरोक्त बिन्दु सं. 7 के समस्त 4 तथ्यों के मद्देनजर तथा नगरीय विकास विभाग के आदेश क्रमांक प. 10(35)नविवि/3/2010 दिनांक 16.04.2010 के तहत प्रश्नगत भूमि परिधि नियन्त्रण क्षेत्र से आवासीय प्रयोजनार्थ भू–उपयोग परिवर्तन किये जाने पर तकनीकी दृष्ट्या कोई आपत्ति नही है।

भू–उपयोग परिवर्तन का औचित्यः–

आवेदित भूमि के आस–पास आवासीय रूपान्तरण/नियमन एवं प्रश्नगत भूमि के आस–पास आवासीय गतिविधियां बढ़ने की संभावना व 200 फीट बाईपास के मध्यनजर, आवेदित भूमि का परिधि नियन्त्रण क्षेत्र से आवासीय प्रयोजनार्थ भू–उपयोग परिवर्तन किया जाना उचित होगा।

अतः निम्न शर्तो के अध्यधीन आवेदित भूमि के परिधि नियन्त्रण क्षेत्र से आवासीय प्रयोजनार्थ भू–उपयोग परिवर्तन की स्वीकृति दी जा सकती है :–

1. आवेदित भूमि बांसवाड़ा–कीर की चौकी जाने वाली बाईपास पर स्थित है। बाईपास का मार्गाधिकार 200 फीट प्रस्तावित है। अतः सड़क के मध्य से 100 फीट की दूरी तक आने वाली भूमि को आवेदक द्वारा नगर पालिका के पक्ष में निःशुल्क समर्पण की जानी होगी।
2. आवेदित भूमि में से एक 3–4 फीट चौड़ी नहर गुजर रही है। सिंचाई विभाग व राजस्व विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र एवं नियमानुसार सुरक्षात्मक दूरी छुडवाया जाना होगा।
3. योजना मानचित्र का अनुमोदन टाउनशिप पॉलिसी–2010 एवं प्रचलित भवन विनियम के तहत किया जाना होगा।
4. योजना में आंतरिक सडकों के विकास में उर्जा संरक्षण हेतु सोलर एवं LED लाईट्स का उपयोग अनिवार्य रूप से सुनिश्चित किया जावेगा। समस्त आन्तरिक विकास की जिम्मेदारी प्राथी की होगी।
5. योजना का क्षेत्रफल 2 है. से कम हैं। अतः मुख्यमंत्री जन आवास योजना–2015 के प्रावधान अनुसार सम्पूर्ण योजना के विक्रय योग्य क्षैत्रफल की 10 प्रतिशत भूमि की राशि निकाय में जमा करायी जानी होगी।
6. योजना में ठोस कचरा निस्तारण हेतु भूमि का प्रावधान अनुसार समायोजन किया जावेगा। नगरीय निकाय द्वारा कचरा संग्रहण की सुगमता की दृष्टि से उक्त स्थल की स्थिति योजना में मुख्य सडक के समीप रखी जावेगी। उक्त भूमि निःशुल्क नगर पालिका को समर्पित की जावेगी। वेस्ट वाटर रिसाईक्लिंग एवं रैन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर आदि हेतु नियमानुसार प्रावधान अनिवार्य रूप से रखा जावेगा।
7. भूमि के स्वामित्व, वाद, क्षैत्रफल, नदी, नाले, वाटर बोडिज, डूब क्षेत्र आदि की सुनिश्चितता निकाय स्तर पर की जानी होगी।
8. उपरोक्त समस्त शर्तो की पालना स्थानीय स्तर पर सुनिश्चित की जावेगी।

9. उपरोक्त तथ्यों, अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका, सलूम्बर एवं उप नगर नियोजक, उदयपुर की अभिशंषा तथा प्रकरण का परीक्षण पश्चात् प्रस्ताव समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

समिति का निर्णय :– समिति द्वारा एजेण्डा का अवलोकन किया गया तथा नगरीय निकाय व क्षेत्रीय वरिष्ठ नगर नियोजक, उदयपुर जोन, उदयपुर की अभिशंषा के अनुरूप प्रस्ताव को एजेण्डा में वर्णित शर्तो के अध्यधीन सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया।

वरिष्ठ नगर नियोजक
निदेशालय स्थानीय निकाय विभाग
राजस्थान सरकार, जयपुर

एजेण्डा नं. 43/डीएलबी/एसटीपी/यूडीजेड/सलूम्बर

	शहर कस्बे का नाम	सलूम्बर
1.	आवेदक का नाम	श्री फकरूदीन पुत्र श्री अकबर अली बोहरा
2.	खसरा नं./भूखण्ड नं. मय ग्राम कॉलोनी	राजस्व ग्राम करगेटा के आराजी नम्बर 169, 176 कुल किता 2 रकबा 0.24 हैक्टेयर
3.	क्षेत्रफल	0.24 हैक्टेयर
4.	संदर्भित भूमि का "लैण्ड यूज प्लान (2031)" में दर्शाया उपयोग	परिधि नियन्त्रण क्षेत्र
5.	प्रस्तावित भू–उपयोग	आवासीय प्रयोजनार्थ
6.	भू–स्वामित्व की स्थिति	अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका, सलूम्बर के अनुसार वैध है।

7. **प्रकरण के तथ्य :–**

1. प्रश्नगत भूमि सलूम्बर नगरीय क्षेत्र हेतु मास्टर प्लान–2031 में परिधि नियन्त्रण क्षेत्र दर्शित है। मास्टर प्लान–2031 दिनांक 06.02.2007 से लागू है, जिसको 2 वर्ष पूर्ण हो चुके है। आवेदित भूमि सलूम्बर से डाल जाने वाली सड़क पर स्थित है। जिसका मार्गाधिकार मास्टर प्लान में 100 फीट प्रस्तावित है।
2. अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका, सलूम्बर द्वारा नियमानुसार सार्वजनिक आपत्ति सूचना एक राज्य स्तरीय समाचार पत्र राजस्थान पत्रिका में दिनांक 27.05.2015 को प्रकाशित कराई गई। निर्धारित समयावधि में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई।
3. अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका, सलूम्बर द्वारा परिधि नियन्त्रण क्षेत्र से आवासीय प्रयोजनार्थ भू–उपयोग परिवर्तन किये जाने की स्पष्ट अभिशंषा भाग "ब" में प्रस्तुत की गई है।
4. उप नगर नियोजक, उदयपुर के पत्र दिनांक 20.11.2015 में कतिपय शर्तो के अध्यधीन आवेदित भूमि का परिधि नियन्त्रण क्षेत्र से आवासीय प्रयोजनार्थ भू–उपयोग परिवर्तन की अभिशंषा की गई है।

8. **प्रस्ताव :–**

उपरोक्त बिन्दु सं. 7 के समस्त 4 तथ्यों के मद्देनजर तथा नगरीय विकास विभाग के आदेश क्रमांक प. 10(35)नविवि/3/2010 दिनांक 16.04.2010 के तहत प्रश्नगत भूमि परिधि नियन्त्रण क्षेत्र से आवासीय प्रयोजनार्थ भू–उपयोग परिवर्तन किये जाने पर तकनीकी दृष्ट्या कोई आपत्ति नही है।

भू–उपयोग परिवर्तन का औचित्यः–

आवेदित भूमि के आस–पास आवासीय रूपान्तरण/नियमन एवं प्रश्नगत भूमि के आस–पास आवासीय गतिविधियां बढ़ने की संभावना व 100 फीट सड़क के मध्यनजर, आवेदित भूमि का परिधि नियन्त्रण क्षेत्र से आवासीय प्रयोजनार्थ भू–उपयोग परिवर्तन किया जाना उचित होगा।

अतः निम्न शर्तो के अध्यधीन आवेदित भूमि के परिधि नियन्त्रण क्षेत्र से आवासीय प्रयोजनार्थ भू–उपयोग परिवर्तन की स्वीकृति दी जा सकती है :–

1. आवेदित भूमि सलूम्बर से डाल जाने वाली सड़क पर स्थित है। जिसका मार्गाधिकार मास्टर प्लान में 100 फीट प्रस्तावित है। अतः सड़क के मध्य से 50 फीट की दूरी तक आने वाली भूमि को आवेदक द्वारा नगर पालिका के पक्ष में निःशुल्क समर्पण की जानी होगी।
2. समीपीय विद्युत लाईन से नियमानुसार सुरक्षात्मक दूरी छुडवायी जावे।
3. योजना मानचित्र का अनुमोदन टाउनशिप पॉलिसी–2010 एवं प्रचलित भवन विनियम के तहत किया जाना होगा।
4. योजना में आंतरिक सडकों के विकास में उर्जा संरक्षण हेतु सोलर एवं LED लाईट्स का उपयोग अनिवार्य रूप से सुनिश्चित किया जावेगा। समस्त आन्तरिक विकास की जिम्मेदारी प्राथी की होगी।
5. योजना का क्षैत्रफल 2 है. से कम हैं। अतः मुख्यमंत्री जन आवास योजना–2015 के प्रावधान अनुसार सम्पूर्ण योजना के विक्रय योग्य क्षैत्रफल की 10 प्रतिशत भूमि की राशि निकाय में जमा करायी जानी होगी।
6. योजना में ठोस कचरा निस्तारण हेतु भूमि का प्रावधान अनुसार समायोजन किया जावेगा। नगरीय निकाय द्वारा कचरा संग्रहण की सुगमता की दृष्टि से उक्त स्थल की स्थिति योजना में मुख्य सडक के समीप रखी जावेगी। उक्त भूमि निःशुल्क नगर पालिका को समर्पित की जावेगी। वेस्ट वाटर रिसाईक्लिंग एवं रैन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर आदि हेतु नियमानुसार प्रावधान अनिवार्य रूप से रखा जावेगा।
7. भूमि के स्वामित्व, वाद, क्षैत्रफल, नदी, नाले, वाटर बोडिज, डूब क्षेत्र आदि की सुनिश्चितता निकाय स्तर पर की जानी होगी।
8. उपरोक्त समस्त शर्तो की पालना स्थानीय स्तर पर सुनिश्चित की जावेगी।

9. उपरोक्त तथ्यों, अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका, सलूम्बर एवं उप नगर नियोजक, उदयपुर की अभिशंषा तथा प्रकरण का परीक्षण पश्चात् प्रस्ताव समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

समिति का निर्णय :– समिति द्वारा एजेण्डा का अवलोकन किया गया तथा नगरीय निकाय व क्षेत्रीय वरिष्ठ नगर नियोजक, उदयपुर जोन, उदयपुर की अभिशंषा के अनुरूप प्रस्ताव को एजेण्डा में वर्णित शर्तो के अध्यधीन सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया।

वरिष्ठ नगर नियोजक
निदेशालय स्थानीय निकाय विभाग
राजस्थान सरकार, जयपुर

एजेण्डा नं. 44/डीएलबी/एसटीपी/यूडीजेड/सलूम्बर

	शहर कस्बे का नाम	सलूम्बर
1.	आवेदक का नाम	श्री कालू पुत्र श्री धूला मीणा
2.	खसरा नं./भूखण्ड नं. मय ग्राम कॉलोनी	राजस्व ग्राम सुरों का कुआं के आराजी नम्बर 157 का रकबा 0.025 है., 159/1 का रकबा 0.35 है., 160/1 का रकबा 0.02727 है.कुल किता 3 कुल रकबा 0.08727 हैक्टेयर
3.	क्षेत्रफल	0.08727 हैक्टेयर
4.	संदर्भित भूमि का "लैण्ड यूज प्लान (2031)" में दर्शाया उपयोग	परिधि नियन्त्रण क्षेत्र
5.	प्रस्तावित भू-उपयोग	आवासीय प्रयोजनार्थ
6.	भू-स्वामित्व की स्थिति	अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका, सलूम्बर के अनुसार वैध है।

7. **प्रकरण के तथ्य :-**

1. प्रश्नगत भूमि सलूम्बर नगरीय क्षेत्र हेतु मास्टर प्लान-2031 में परिधि नियन्त्रण क्षेत्र दर्शित है। मास्टर प्लान-2031 दिनांक 06.02.2007 से लागू है, जिसको 2 वर्ष पूर्ण हो चुके है। आवेदित भूमि के उत्तर-पूर्व दिशा में राजस्व रास्ता गुजर रहा है, उस पर आवेदित भूमि स्थित है। जिसका मार्गाधिकार 60 फीट प्रस्तावित है। खसरा संख्या 157 की भूमि एवं 159/1, 160/1 की भूमियां पृथक-पृथक स्थित है।
2. अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका, सलूम्बर द्वारा नियमानुसार सार्वजनिक आपत्ति सूचना एक राज्य स्तरीय समाचार पत्र राजस्थान पत्रिका में दिनांक 23.07.2015 को प्रकाशित कराई गई। निर्धारित समयावधि में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई।
3. अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका, सलूम्बर द्वारा परिधि नियन्त्रण क्षेत्र से आवासीय प्रयोजनार्थ भू-उपयोग परिवर्तन किये जाने की स्पष्ट अभिशंषा भाग "ब" में प्रस्तुत की गई है।
4. उप नगर नियोजक, उदयपुर के पत्र दिनांक 24.11.2015 में कतिपय शर्तो के अध्यधीन आवेदित भूमि का परिधि नियन्त्रण क्षेत्र से आवासीय प्रयोजनार्थ भू-उपयोग परिवर्तन की अभिशंषा की गई है।

8. **प्रस्ताव :-**

उपरोक्त बिन्दु सं. 7 के समस्त 4 तथ्यों के मद्देनजर तथा नगरीय विकास विभाग के आदेश क्रमांक प. 10(35)नविवि/3/2010 दिनांक 16.04.2010 के तहत प्रश्नगत भूमि परिधि नियन्त्रण क्षेत्र से आवासीय प्रयोजनार्थ भू-उपयोग परिवर्तन किये जाने पर तकनीकी दृष्ट्या कोई आपत्ति नही है।

भू-उपयोग परिवर्तन का औचित्यः-

आवेदित भूमि के आस-पास छितराये भवन बने हुये है भावी आवासीय गतिविधियां बढ़ने की संभावना के मध्यनजर, आवेदित भूमि का परिधि नियन्त्रण क्षेत्र से आवासीय प्रयोजनार्थ भू-उपयोग परिवर्तन किया जाना उचित होगा।

अतः निम्न शर्तो के अध्यधीन आवेदित भूमि के परिधि नियन्त्रण क्षेत्र से आवासीय प्रयोजनार्थ भू-उपयोग परिवर्तन की स्वीकृति दी जा सकती है :-

1. आवेदित भूमि के उत्तर-पूर्व दिशा में राजस्व रास्ता गुजर रहा है, उस पर आवेदित भूमि स्थित है। जिसका मार्गाधिकार 60 फीट प्रस्तावित है। अतः सड़क के मध्य से 30 फीट की दूरी तक आने वाली भूमि को आवेदक द्वारा नगर पालिका के पक्ष में निःशुल्क समर्पण की जानी होगी।
2. खसरा संख्या 157 की भूमि एवं 159/1, 160/1 की भूमियां पृथक-पृथक स्थित है। उक्त भूमियों का संपरिवर्तन पृथक-पृथक भूमि मानते हुये किया जावे।
3. योजना मानचित्र का अनुमोदन टाउनशिप पॉलिसी-2010 एवं प्रचलित भवन विनियम के तहत किया जाना होगा।
4. योजना में आंतरिक सडकों के विकास में उर्जा संरक्षण हेतु सोलर एवं LED लाईट्स का उपयोग अनिवार्य रूप से सुनिश्चित किया जावेगा। समस्त आन्तरिक विकास की जिम्मेदारी प्राथी की होगी।
5. योजना का क्षैत्रफल 2 है. से कम हैं। अतः मुख्यमंत्री जन आवास योजना-2015 के प्रावधान अनुसार सम्पूर्ण योजना के विक्रय योग्य क्षैत्रफल की 10 प्रतिशत भूमि की राशि निकाय में जमा करायी जानी होगी।
6. योजना में ठोस कचरा निस्तारण हेतु भूमि का प्रावधान अनुसार समायोजन किया जावेगा। नगरीय निकाय द्वारा कचरा संग्रहण की सुगमता की दृष्टि से उक्त स्थल की स्थिति योजना में मुख्य सडक के समीप रखी जावेगी। उक्त भूमि निःशुल्क नगर पालिका को समर्पित की जावेगी। वेस्ट वाटर रिसाईक्लिंग एवं रैन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर आदि हेतु नियमानुसार प्रावधान अनिवार्य रूप से रखा जावेगा।
7. भूमि के स्वामित्व, वाद, क्षैत्रफल, नदी, नाले, वाटर बोडिज, डूब क्षेत्र आदि की सुनिश्चितता निकाय स्तर पर की जानी होगी।
8. उपरोक्त समस्त शर्तो की पालना स्थानीय स्तर पर सुनिश्चित की जावेगी।

9. उपरोक्त तथ्यों, अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका, सलूम्बर एवं उप नगर नियोजक, उदयपुर की अभिशंषा तथा प्रकरण का परीक्षण पश्चात् प्रस्ताव समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

समिति का निर्णय :- समिति द्वारा एजेण्डा का अवलोकन किया गया तथा नगरीय निकाय व क्षेत्रीय वरिष्ठ नगर नियोजक, उदयपुर जोन, उदयपुर की अभिशंषा के अनुरूप प्रस्ताव को एजेण्डा में वर्णित शर्तो के अध्यधीन सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया।

वरिष्ठ नगर नियोजक
निदेशालय स्थानीय निकाय विभाग
राजस्थान सरकार, जयपुर

एजेण्डा नं. 45/डीएलबी/एसटीपी/यूडीजेड/सलूम्बर

	शहर कस्बे का नाम	सलूम्बर
1.	आवेदक का नाम	श्री लाला पुत्र श्री पुंजा मीणा
2.	खसरा नं./भूखण्ड नं. मय ग्राम कॉलोनी	राजस्व ग्राम नया गांव के आराजी नम्बर 116/1, 117/1, कुल किता 2 रकबा 0.30 हैक्टेयर
3.	क्षेत्रफल	0.30 हैक्टेयर
4.	संदर्भित भूमि का "लैण्ड यूज प्लान (2031)" में दर्शाया उपयोग	परिधि नियन्त्रण क्षेत्र
5.	प्रस्तावित भू–उपयोग	आवासीय प्रयोजनार्थ
6.	भू–स्वामित्व की स्थिति	अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका, सलूम्बर के अनुसार वैध है।

7\. **प्रकरण के तथ्य :–**

1. प्रश्नगत भूमि सलूम्बर नगरीय क्षेत्र हेतु मास्टर प्लान–2031 में परिधि नियन्त्रण क्षेत्र दर्शित है। मास्टर प्लान–2031 दिनांक 06.02.2007 से लागू है, जिसको 2 वर्ष पूर्ण हो चुके है। आवेदित भूमि बांसवाड़ा–कीर की चौकी जाने वाली बाईपास पर स्थित है। बाईपास का मार्गाधिकार 200 फीट प्रस्तावित है।
2. अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका, सलूम्बर द्वारा नियमानुसार सार्वजनिक आपत्ति सूचना एक राज्य स्तरीय समाचार पत्र राजस्थान पत्रिका में दिनांक 14.07.2015 को प्रकाशित कराई गई। निर्धारित समयावधि में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई।
3. अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका, सलूम्बर द्वारा परिधि नियन्त्रण क्षेत्र से आवासीय प्रयोजनार्थ भू–उपयोग परिवर्तन किये जाने की स्पष्ट अभिशंषा भाग "ब" में प्रस्तुत की गई है।
4. उप नगर नियोजक, उदयपुर के पत्र दिनांक 20.11.2015 में कतिपय शर्तो के अध्यधीन आवेदित भूमि का परिधि नियन्त्रण क्षेत्र से आवासीय प्रयोजनार्थ भू–उपयोग परिवर्तन की अभिशंषा की गई है।

8\. **प्रस्ताव :–**

उपरोक्त बिन्दु सं. 7 के समस्त 4 तथ्यों के मद्देनजर तथा नगरीय विकास विभाग के आदेश क्रमांक प. 10(35)नविवि/3/2010 दिनांक 16.04.2010 के तहत प्रश्नगत भूमि परिधि नियन्त्रण क्षेत्र से आवासीय प्रयोजनार्थ भू–उपयोग परिवर्तन किये जाने पर तकनीकी दृष्ट्या कोई आपत्ति नही है।

भू–उपयोग परिवर्तन का औचित्यः–

आवेदित भूमि के आस–पास आवासीय रूपान्तरण/नियमन एवं प्रश्नगत भूमि के आस–पास आवासीय गतिविधियां बढ़ने की संभावना व 200 फीट बाईपास के मध्यनजर, आवेदित भूमि का परिधि नियन्त्रण क्षेत्र से आवासीय प्रयोजनार्थ भू–उपयोग परिवर्तन किया जाना उचित होगा।

अतः निम्न शर्तो के अध्यधीन आवेदित भूमि के परिधि नियन्त्रण क्षेत्र से आवासीय प्रयोजनार्थ भू–उपयोग परिवर्तन की स्वीकृति दी जा सकती है :–

1. आवेदित भूमि बांसवाड़ा–कीर की चौकी जाने वाली बाईपास पर स्थित है। बाईपास का मार्गाधिकार 200 फीट प्रस्तावित है। अतः सड़क के मध्य से दोनों तरफ 100–100 फीट की दूरी तक आने वाली भूमि को आवेदक द्वारा नगर पालिका के पक्ष में निःशुल्क समर्पण की जानी होगी।
2. योजना मानचित्र का अनुमोदन टाउनशिप पॉलिसी–2010 एवं प्रचलित भवन विनियम के तहत किया जाना होगा।
3. योजना में आंतरिक सडकों के विकास में उंर्जा संरक्षण हेतु सोलर एवं LED लाईट्स का उपयोग अनिवार्य रूप से सुनिश्चित किया जावेगा। समस्त आन्तरिक विकास की जिम्मेदारी प्राथी की होगी।
4. योजना का क्षेत्रफल 2 है. से कम हैं। अतः मुख्यमंत्री जन आवास योजना–2015 के प्रावधान अनुसार सम्पूर्ण योजना के विक्रय योग्य क्षैत्रफल की 10 प्रतिशत भूमि की राशि निकाय में जमा करायी जानी होगी।
5. योजना में ठोस कचरा निस्तारण हेतु भूमि का प्रावधान अनुसार समायोजन किया जावेगा। नगरीय निकाय द्वारा कचरा संग्रहण की सुगमता की दृष्टि से उक्त स्थल की स्थिति योजना में मुख्य सडक के समीप रखी जावेगी। उक्त भूमि निःशुल्क नगर पालिका को समर्पित की जावेगी। वेस्ट वाटर रिसाईक्लिंग एवं रैन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर आदि हेतु नियमानुसार प्रावधान अनिवार्य रूप से रखा जावेगा।
6. भूमि के स्वामित्व, वाद, क्षैत्रफल, नदी, नाले, वाटर बोडिज, डूब क्षेत्र आदि की सुनिश्चितता निकाय स्तर पर की जानी होगी।

उपरोक्त समस्त शर्तो की पालना स्थानीय स्तर पर सुनिश्चित की जावेगी।

9\. उपरोक्त तथ्यों, अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका, सलूम्बर एवं उप नगर नियोजक, उदयपुर की अभिशंषा तथा प्रकरण का परीक्षण पश्चात् प्रस्ताव समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

समिति का निर्णय :– समिति द्वारा एजेण्डा का अवलोकन किया गया तथा नगरीय निकाय व क्षेत्रीय वरिष्ठ नगर नियोजक, उदयपुर जोन, उदयपुर की अभिशंषा के अनुरूप प्रस्ताव को एजेण्डा में वर्णित शर्तो के अध्यधीन सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया।

वरिष्ठ नगर नियोजक
निदेशालय स्थानीय निकाय विभाग
राजस्थान सरकार, जयपुर

एजेण्डा नं. 46/डीएलबी/एसटीपी/यूडीजेड/सलूम्बर

	शहर कस्बे का नाम	सलूम्बर
1.	आवेदक का नाम	श्री विणा पुत्र श्री रूपाजी मीणा
2.	खसरा नं./भूखण्ड नं. मय ग्राम कॉलोनी	राजस्व ग्राम लकापा के आराजी नम्बर 1313, 1319, कुल किता 2 रकबा 0.13 हैक्टेयर
3.	क्षेत्रफल	0.13 हैक्टेयर
4.	संदर्भित भूमि का "लैण्ड यूज प्लान (2031)" में दर्शाया उपयोग	परिधि नियन्त्रण क्षेत्र
5.	प्रस्तावित भू–उपयोग	आवासीय प्रयोजनार्थ
6.	भू–स्वामित्व की स्थिति	अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका, सलूम्बर के अनुसार वैध है।
7.	**प्रकरण के तथ्य :–** 1. प्रश्नगत भूमि सलूम्बर नगरीय क्षेत्र हेतु मास्टर प्लान–2031 में परिधि नियन्त्रण क्षेत्र दर्शित है। मास्टर प्लान–2031 दिनांक 06.02.2007 से लागू है, जिसको 2 वर्ष पूर्ण हो चुके है। आवेदित भूमि राज्य राजमार्ग संख्या–32 पर स्थित है। जिसका मार्गाधिकार 200 फीट प्रस्तावित है, मास्टर प्लान के अनुसार मार्गाधिकार के पश्चात वृक्षारोपण पट्टी भी प्रस्तावित है। 2. अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका, सलूम्बर द्वारा नियमानुसार सार्वजनिक आपत्ति सूचना एक राज्य स्तरीय समाचार पत्र राजस्थान पत्रिका में दिनांक 14.07.2015 को प्रकाशित कराई गई। निर्धारित समयावधि में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई। 3. अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका, सलूम्बर द्वारा परिधि नियन्त्रण क्षेत्र से आवासीय प्रयोजनार्थ भू–उपयोग परिवर्तन किये जाने की स्पष्ट अभिशंषा भाग "ब" में प्रस्तुत की गई है। 4. उप नगर नियोजक, उदयपुर के पत्र दिनांक 07.01.2016 में कतिपय शर्तो के अध्यधीन आवेदित भूमि का परिधि नियन्त्रण क्षेत्र से आवासीय प्रयोजनार्थ भू–उपयोग परिवर्तन की अभिशंषा की गई है।	
8.	**प्रस्ताव :–** उपरोक्त बिन्दु सं. 7 के समस्त 4 तथ्यों के मद्देनजर तथा नगरीय विकास विभाग के आदेश क्रमांक प. 10(35)नविवि/3/2010 दिनांक 16.04.2010 के तहत प्रश्नगत भूमि परिधि नियन्त्रण क्षेत्र से आवासीय प्रयोजनार्थ भू–उपयोग परिवर्तन किये जाने पर तकनीकी दृष्ट्या कोई आपत्ति नही है। **भू–उपयोग परिवर्तन का औचित्यः–** **आवेदित भूमि के आस–पास आवासीय गतिविधियां बढ़ने की संभावना व 200 फीट (राज्य राजमार्ग) के मध्यनजर, आवेदित भूमि का परिधि नियन्त्रण क्षेत्र से आवासीय प्रयोजनार्थ भू–उपयोग परिवर्तन किया जाना उचित होगा।** अतः निम्न शर्तो के अध्यधीन आवेदित भूमि के परिधि नियन्त्रण क्षेत्र से आवासीय प्रयोजनार्थ भू–उपयोग परिवर्तन की स्वीकृति दी जा सकती है :– 1. आवेदित भूमि राज्य राजमार्ग संख्या–32 पर स्थित है। जिसका मार्गाधिकार 200 फीट प्रस्तावित है, मास्टर प्लान के अनुसार मार्गाधिकार के पश्चात वृक्षारोपण पट्टी भी प्रस्तावित है। अतः सड़क के मध्य से 100 फीट की दूरी तक आने वाली भूमि को आवेदक द्वारा नगर पालिका के पक्ष में निःशुल्क समर्पण की जानी होगी एवं सड़क की सीमा के बाद 50 फीट गहराई तक वृक्षारोपण पट्टी हेतु भूमि छुडवाना होगा, जिसमें निर्माण कार्य निषेध होगा। 2. योजना मानचित्र का अनुमोदन टाउनशिप पॉलिसी–2010 एवं प्रचलित भवन विनियम के तहत किया जाना होगा। 3. भवनों में उर्जा संरक्षण हेतु सोलर एवं LED लाईट्स का उपयोग अनिवार्य रूप से सुनिश्चित किया जावेगा। समस्त आन्तरिक विकास की जिम्मेदारी प्राथी की होगी। 4. योजना का क्षैत्रफल 2 है. से कम हैं। अतः मुख्यमंत्री जन आवास योजना–2015 के प्रावधान अनुसार सम्पूर्ण योजना के विक्रय योग्य क्षैत्रफल की 10 प्रतिशत भूमि की राशि निकाय में जमा करायी जानी होगी। 5. योजना में ठोस कचरा निस्तारण हेतु भूमि का प्रावधान अनुसार समायोजन किया जावेगा। नगरीय निकाय द्वारा कचरा संग्रहण की सुगमता की दृष्टि से उक्त स्थल की स्थिति योजना में मुख्य सडक के समीप रखी जावेगी। उक्त भूमि निःशुल्क नगर पालिका को समर्पित की जावेगी। वेस्ट वाटर रिसाईक्लिंग एवं रैन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर आदि हेतु नियमानुसार प्रावधान अनिवार्य रूप से रखा जावेगा। 6. भूमि के स्वामित्व, वाद, क्षैत्रफल, नदी, नाले, वाटर बोडिज, डूब क्षेत्र आदि की सुनिश्चितता निकाय स्तर पर की जानी होगी। 7. उपरोक्त समस्त शर्तो की पालना स्थानीय स्तर पर सुनिश्चित की जावेगी।	
9.	उपरोक्त तथ्यों, अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका, सलूम्बर एवं उप नगर नियोजक, उदयपुर की अभिशंषा तथा प्रकरण का परीक्षण पश्चात् प्रस्ताव समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।	

समिति का निर्णय :– समिति द्वारा एजेण्डा का अवलोकन किया गया तथा नगरीय निकाय व क्षेत्रीय वरिष्ठ नगर नियोजक, उदयपुर जोन, उदयपुर की अभिशंषा के अनुरूप प्रस्ताव को एजेण्डा में वर्णित शर्तो के अध्यधीन सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया।

वरिष्ठ नगर नियोजक
निदेशालय स्थानीय निकाय विभाग
राजस्थान सरकार, जयपुर

एजेण्डा नं. 47/डीएलबी/एसटीपी/यूडीजेड/बड़ी सादड़ी

	शहर कस्बे का नाम	बड़ी सादड़ी
1.	आवेदक का नाम	श्री सूरजमल पुत्र श्री भैरू लाल धोबी एवं श्री देवी लाल पुत्र श्री काना मेघवाल
2.	खसरा नं./भूखण्ड नं. मय ग्राम कॉलोनी	राजस्व ग्राम बड़ी सादड़ी के खसरा नं. 109, 110 रकबा 0.88 हैक्टेयर
3.	क्षेत्रफल	0.88 हैक्टेयर
4.	संदर्भित भूमि का "लैण्ड यूज प्लान (2031)" में दर्शाया उपयोग	परिधि नियन्त्रण क्षेत्र
5.	प्रस्तावित भू–उपयोग	आवासीय प्रयोजनार्थ
6.	भू–स्वामित्व की स्थिति	अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका, बड़ी सादड़ी के अनुसार वैध है।

7. **प्रकरण के तथ्य :–**

1. प्रश्नगत भूमि बड़ी सादड़ी नगरीय क्षेत्र हेतु मास्टर प्लान–2031 में परिधि नियन्त्रण क्षेत्र दर्शित है। मास्टर प्लान–2031 दिनांक 31.12.2013 से लागू है, जिसको 2 वर्ष पूर्ण हो चुके है। आवेदित भूमि रिक्त है तथा नारजी का खेड़ा से जरखाना मोड को जाने वाली सड़क पर स्थित है। जिसका मार्गाधिकार मास्टर प्लान अनुसार 100 फीट प्रस्तावित है। आवेदित भूमि के उत्तर दिशा में बरसाती नाला गुजर रहा है।
2. अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका, बड़ी सादड़ी द्वारा नियमानुसार सार्वजनिक आपत्ति सूचना एक राज्य स्तरीय समाचार पत्र में दिनांक 20.01.2015 को प्रकाशित कराई गई। निर्धारित समयावधि में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई।
3. अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका, बड़ी सादड़ी द्वारा परिधि नियन्त्रण क्षेत्र से आवासीय प्रयोजनार्थ भू–उपयोग परिवर्तन किये जाने की स्पष्ट अभिशंषा भाग "ब" में प्रस्तुत की गई है।
4. उप नगर नियोजक, उदयपुर के पत्र दिनांक 09.02.2016 में कतिपय शर्तो के अध्यधीन आवेदित भूमि का परिधि नियन्त्रण क्षेत्र से आवासीय प्रयोजनार्थ भू–उपयोग परिवर्तन की अभिशंषा की गई है।

8. **प्रस्ताव :–**

उपरोक्त बिन्दु सं. 7 के समस्त 4 तथ्यों के मद्देनजर तथा नगरीय विकास विभाग के आदेश क्रमांक प. 10(35)नविवि/3/2010 दिनांक 16.04.2010 के तहत प्रश्नगत भूमि परिधि नियन्त्रण क्षेत्र से आवासीय प्रयोजनार्थ भू–उपयोग परिवर्तन किये जाने पर तकनीकी दृष्ट्या कोई आपत्ति नही है।

भू–उपयोग परिवर्तन का औचित्यः–

नगर पालिका अनुसार आवेदित भूमि के समीप ग्राम नार जी का खेडा की आबादी आवासीत है। सड़क की चौड़ाई 100 फीट प्रस्तावित है व आवेदित भूमि के आस–पास आवासीय गतिविधियां व भविष्य की आवश्यकता एवं सुनियोजित विकास के मध्यनजर आवेदित भूमि का परिधि नियन्त्रण क्षेत्र से आवासीय प्रयोजनार्थ भू–उपयोग परिवर्तन किया जाना उचित होगा।

अतः निम्न शर्तो के अध्यधीन आवेदित भूमि के परिधि नियन्त्रण क्षेत्र से आवासीय प्रयोजनार्थ भू–उपयोग परिवर्तन की स्वीकृति दी जा सकती है :–

1. आवेदित भूमि रिक्त है तथा नारजी का खेड़ा से जरखाना मोड को जाने वाली सड़क पर स्थित है। जिसका मार्गाधिकार मास्टर प्लान अनुसार 100 फीट प्रस्तावित है। अतः सड़क के मध्य से 50 फीट की दूरी तक आने वाली भूमि को आवेदक द्वारा नगर पालिका के पक्ष में निःशुल्क समर्पण की जानी होगी।
2. आवेदित भूमि के उत्तर दिशा में बरसाती नाला गुजर रहा है। नाले की सीमा से 30 फीट दूरी तक आवेदित भूमि में से सड़क हेतु आवेदक द्वारा नगर पालिका के पक्ष में निःशुल्क समर्पण की जानी होगी।
3. योजना मानचित्र का अनुमोदन टाउनशिप पॉलिसी–2010 एवं प्रचलित भवन विनियम के तहत किया जाना होगा।
4. योजना का क्षेत्रफल 2 हैक्टेयर से कम है। अतः मुख्यमंत्री जन आवास योजना–2015 के प्रावधान अनुसार विक्रय योग्य क्षेत्रफल की 10 प्रतिशत भूमि की राशि अथवा कुल एफ.ए.आर. का 7.5 प्रतिशत की राशि निकाय में जमा करवायी जानी होगी।
5. योजना में आंतरिक सडकों के विकास में उर्जा संरक्षण हेतु सोलर एवं LED लाईट्स का उपयोग अनिवार्य रूप से सुनिश्चित किया जावेगा। समस्त आन्तरिक विकास की जिम्मेदारी प्राथी की होगी।
6. योजना का क्षैत्रफल 2 है. से कम हैं। अतः मुख्यमंत्री जन आवास योजना–2015 के प्रावधान अनुसार सम्पूर्ण योजना के विक्रय योग्य क्षैत्रफल की 10 प्रतिशत भूमि की राशि निकाय में जमा करायी जानी होगी।
7. योजना में ठोस कचरा निस्तारण हेतु भूमि का प्रावधान अनुसार समायोजन किया जावेगा। नगरीय निकाय द्वारा कचरा संग्रहण की सुगमता की दृष्टि से उक्त स्थल की स्थिति योजना में मुख्य सडक के समीप रखी जावेगी। उक्त भूमि निःशुल्क नगर पालिका को समर्पित की जावेगी। वेस्ट वाटर रिसाईक्लिंग एवं रैन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर आदि हेतु नियमानुसार प्रावधान अनिवार्य रूप से रखा जावेगा।
8. भूमि के स्वामित्व, वाद, क्षैत्रफल, नदी, नाले, वाटर बोडिज, डूब क्षेत्र आदि की सुनिश्चितता निकाय स्तर पर की जानी होगी।
9. उपरोक्त समस्त शर्तो की पालना स्थानीय स्तर पर सुनिश्चित की जावेगी।

9. उपरोक्त तथ्यों, अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका, बड़ी सादड़ी एवं उप नगर नियोजक, उदयपुर की अभिशंषा तथा प्रकरण का परीक्षण पश्चात् प्रस्ताव समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

समिति का निर्णय :– समिति द्वारा एजेण्डा का अवलोकन किया गया तथा नगरीय निकाय व क्षेत्रीय वरिष्ठ नगर नियोजक, उदयपुर जोन, उदयपुर की अभिशंषा के अनुरूप प्रस्ताव को एजेण्डा में वर्णित शर्तो के अध्यधीन सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया।

वरिष्ठ नगर नियोजक
निदेशालय स्थानीय निकाय विभाग
राजस्थान सरकार, जयपुर

एजेण्डा नं. 49/डीएलबी/एसटीपी/यूडीजेड/भीण्डर

	शहर कस्बे का नाम	भीण्डर
1.	आवेदक का नाम	श्री चुन्नीलाल पिता लालू जी अहीर, श्री नन्दलाल पिता चुन्नीलाल, श्री भंवरलाल पिता बंशीलाल पचोरी एवं श्री देवीलाल पिता उंकारलाल जाट।
2.	खसरा नं./भूखण्ड नं. मय ग्राम कॉलोनी	राजस्व ग्राम भीण्डर के खसरा नं0 3854 शा.ना. 3856, 3858, 3860, 3855, 3857, 3861, शा.ना. 3978, 3862, 3863 शा.ना. 3865, 3867, 3864, 3866, 3896/3 व आ.न. 3894 कुल किता 10 रकबा 7 बिघा 15 बिस्वा। (22655.77 वर्गफीट)
3.	क्षेत्रफल	कुल 1.89 हेक्टेयर
4.	संदर्भित भूमि का "लैण्ड यूज प्लान (2031)" में दर्शाया उपयोग	परिधि नियंत्रण क्षेत्र
5.	आवेदक द्वारा प्रस्तावित भू–उपयोग	आवासीय प्रयोजनार्थ
6.	भू–स्वामित्व की स्थिति	अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका, भीण्डर के अनुसार वैध है।
7.	**प्रकरण के तथ्य :–** 1. प्रश्नगत भूमि भीण्डर नगरीय क्षेत्र हेतु मास्टर प्लान–2031 में परिधि नियंत्रण पट्टी में दर्शित है। मास्टर प्लान–2031 दिनांक 23.04.2012 को लागू किया गया। जिसको 2 वर्ष पूर्ण हो गये है। आवेदित स्थल राजस्व रास्ते पर स्थित हैं। उप नगर नियोजक, उदयपुर अनुसार रास्ते की चौड़ाई 60 फीट प्रस्तावित है। 2. अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका, भीण्डर द्वारा नियमानुसार सार्वजनिक आपत्ति सूचना एक समाचार पत्र में प्रकाशित करायी गई थी। निर्धारित समयावधि में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई। 3. अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका, भीण्डर द्वारा प्रस्तुत प्रपत्र भाग "ब" के अनुसार भूमि का स्वामित्व वैद्य है। परिधि नियंत्रण क्षैत्र से आवासीय प्रयोजनार्थ भू–उपयोग परिवर्तन की अभिशंषा की है। 4. उप नगर नियोजक, उदयपुर के पत्र दिनांक 28.05.2015 द्वारा आवेदित भूमि का परिधि नियंत्रण क्षैत्र से आवासीय प्रयोजनार्थ भू–उपयोग परिवर्तन की अभिशंषा की गई है।	
8.	**प्रस्ताव :–** उपरोक्त बिन्दु सं. 7 के समस्त 4 तथ्यों के मद्देनजर तथा नगरीय विकास विभाग के आदेश क्रमांक प. 10(35)नविवि/3/2010 दिनांक 16.04.2010 के तहत प्रश्नगत भूमि परिधि नियंत्रण क्षैत्र से आवासीय प्रयोजनार्थ भू–उपयोग परिवर्तन किये जाने पर तकनीकी दृष्ट्या कोई आपत्ति नहीं है। **भू–उपयोग परिवर्तन का औचित्यः–** **आवेदित भूमि के पूर्व दिशा में भीण्डर नगर की मुख्य आबादी है एवं आबादी का विस्तार पश्चिम दिशा में होकर आवेदित स्थल की तरफ ही हो रहा हैं। भूमि के आस–पास छित्राय रूप में मकानात् आदि विकासीत हो चुके हैं। अतः सुनियोजित विकास के दृष्टिगत परिधी नियंत्रण क्षैत्र में आवासीय प्रयोजनार्थ भू–उपयोग परिवर्तन किया जाना उचित हैं।** अतः निम्न शर्तो के अध्यधीन आवेदित भूमि के परिधि नियंत्रण क्षैत्र से आवासीय प्रयोजनार्थ भू–उपयोग परिवर्तन की स्वीकृति दी जा सकती है :– 1. आवेदित स्थल राजस्व रास्ते पर स्थित हैं। उप नगर नियोजक, उदयपुर अनुसार रास्ते की चौड़ाई 60 फीट प्रस्तावित है। अतः सड़क के मध्य से 30 फीट में आने वाली भूमि को आवेदक द्वारा नगर पालिका के पक्ष में निःशुल्क समर्पण की जानी होगी। 2. योजना मानचित्र का अनुमोदन टाउनशिप पॉलिसी–2010 एवं प्रचलित भवन विनियम के तहत किया जाना होगा। 3. योजना में आंतरिक सडकों के विकास में उर्जा संरक्षण हेतु सोलर एवं LED लाईट्स का उपयोग अनिवार्य रूप से सुनिश्चित किया जावेगा। समस्त आन्तरिक विकास की जिम्मेदारी प्राथी की होगी। 4. योजना का क्षैत्रफल 1 है. से अधिक किन्तु 2 है. से कम है। अतः शहरी क्षैत्र के आवासहीन गरीब वर्ग को आवास सुविधा उपलब्ध कराने हेतु 300 वर्गमीटर भूमि नगर निकाय के हक में निःशुल्क समर्पित की जानी होगी। इस भूमि पर निकाय द्वारा केन्द्र/राज्य सरकार की वित्तीय सहायता से रैन बसेरा का निर्माण किया जावेगा। योजना का क्षैत्रफल 2 है. से कम है, मुख्यमंत्री जन आवास योजना–2015 के प्रावधान अनुसार 2 है. से कम की स्वतंत्र आवासीय योजना में सम्पूर्ण योजना के विक्रय योग्य क्षैत्रफल के 10 प्रतिशत भूमि की राशि निकाय में जमा कराई जानी होगी। चुंकि योजना में प्रार्थी से 300 वर्गमीटर भूमि निःशुल्क रैन बसेरा हेतु छुड़वाई जा रही है। अतः 10 प्रतिशत भूमि में से 300 वर्गमीटर भूमि के क्षैत्रफल को घटाते हुये शेष भूमि की ही राशि निकाय में जमा करायी जानी होगी। 5. योजना में ठोस कचरा निस्तारण हेतु भूमि का प्रावधान अनुसार समायोजन किया जावेगा। नगरीय निकाय द्वारा कचरा संग्रहण की सुगमता की दृष्टि से उक्त स्थल की स्थिति योजना में मुख्य सडक के समीप रखी जावेगी। उक्त भूमि निःशुल्क नगर पालिका को समर्पित की जावेगी। वेस्ट वाटर रिसाईक्लिंग एवं रैन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर आदि हेतु नियमानुसार प्रावधान अनिवार्य रूप से रखा जावेगा। 6. भूमि के स्वामित्व, वाद एवं क्षैत्रफल की सुनिश्चितता निकाय स्तर पर की जानी होगी। 7. उपरोक्त समस्त शर्तो की पालना स्थानीय स्तर पर सुनिश्चित की जावेगी।	
9.	उपरोक्त तथ्यों, अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका, भीण्डर एवं उप नगर नियोजक, उदयपुर की अभिशंषा तथा प्रकरण का परीक्षण पश्चात् प्रस्ताव समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।	

समिति का निर्णय :– समिति द्वारा एजेण्डा का अवलोकन किया गया तथा नगरीय निकाय व क्षेत्रीय वरिष्ठ नगर नियोजक, उदयपुर जोन, उदयपुर की अभिशंषा के अनुरूप प्रस्ताव को एजेण्डा में वर्णित शर्तो के अध्यधीन सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया।

वरिष्ठ नगर नियोजक
निदेशालय स्थानीय निकाय विभाग
राजस्थान सरकार, जयपुर

एजेण्डा नं. 50/डीएलबी/एसटीपी/सामान्य/प्रक्रियात्मक सरलीकरण

	विषय :– भू–उपयोग परिवर्तन के निम्न प्रकरणों में प्रक्रियात्मक सरलीकरण के संबंध में
1.	**प्रकरण के तथ्य :–** प्रायः यह देखने में आया है कि भू–उपयोग परिवर्तन की राज्य स्तरीय समिति द्वारा निर्णीत एवं राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित प्रकरणों को निकायों द्वारा 90–A एवं क्षैत्रफल की बाध्यता के चलते एकल पट्टे की पूर्वानुमति तथा पूर्नगठन/उपविभाजन (जिनमें भू–उपयोग परिवर्तन प्रस्तावित है) हेतु राज्य सरकार को प्रेषित किये जाते हैं जिससे एक ही प्रकरण में एक ही उपयोग, क्षैत्रफल हेतु तीन बार राज्य सरकार की स्वीकृति दी जाती है। यह प्रक्रिया काफी लम्बी होती है, जिससे राज्य में योजनाओं के प्रारम्भ एवं निवेश में अनावश्यक विलम्ब होता है तथा आमजन को परेशानी उठानी पड़ती है, जबकि प्रकरण में राज्य स्तरीय भू–उपयोग परिवर्तन समिति द्वारा प्रकरण के प्रशासनिक एवं तकनीकी तथ्यों के परीक्षण पश्चात् तकनीकी एवं प्रशासनिक अधिकारियों से विचार विमर्श कर निर्णय लिया जाकर राज्य सरकार से अनुमोदन पश्चात् निर्णय/आदेश जारी किये जाते है। स्पष्ट है कि प्रकरणों के निर्धारित/आवेदित क्षैत्रफल पर प्रस्तावित उपयोग हेतु राज्य सरकार द्वारा स्वीकृति दी जाती है। अतः समस्त नगरीय निकायों को राज्य स्तरीय भू–उपयोग परिवर्तन समिति में प्रेषित प्रकरणों के नियमन किये जाने की प्रक्रिया के सरलीकरण करते हुये निम्नानुसार नियमन की कार्यवाही किये जाने के निर्देश दिये जाना प्रस्तावित है।
2.	**प्रस्ताव** **एकल पट्टे के सम्बन्ध में :–** राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प.3(50)निविवि/3/2012 दिनांक 21.06.2012 तथा आदेश क्रमांक प. 3(50)निविवि/3/2012 दिनांक 21.09.2012 के तहत् स्थानीय अधिकारिता से अधिक क्षैत्रफल के प्रकरणों को दुबारा से राज्य सरकार की स्वीकृति हेतु प्रेषित नही किये जावें, तथा प्रकरण में भवन मानचित्र अनुमोदन की कार्यवाही नियमानुसार की जावें, यदि प्रकरण में भवन के किसी प्रावधान में शिथिलता/स्वीकृति चाही गई है, तो ही राज्य सरकार को प्रेषित किये जावें। **90–ए की कार्यवाही के सम्बन्ध में :–** राज्य सरकार की अधिसूचना संख्या एफ.3(50)यूडीएच/3/2012 दिनांक 31.05.2013 के अध्याय 2 के बिन्दु संख्या 3(2) अनुसार माउण्ट आबू, जैसलमेर, नाथद्वारा हेतु कृषि भूमि का गैर कृषि भूमि उपयोग की अनुज्ञा हेतु राज्य सरकार की स्वीकृति/पूर्वानुमति आवश्यक हैं। अतः ऐसे प्रकरणों में जिनको राज्य स्तरीय भू–उपयोग परिवर्तन समिति में प्रेषित किये गये है, तथा उन पर लिए गये निर्णय राज्य सरकार द्वारा अनुमोदन पश्चात् जारी कर दिये गये हैं, तो राज्य सरकार को दुबारा स्वीकृति हेतु प्रेषित नही किये जावें। **पूर्नगठन एवं उपविभाजन के सम्बन्ध में :–** राज्य सरकार के परिपत्र क्रमांक प.10(65)/नविवि/3/04 दिनांक 19.02.2010 अनुसार 1500 वर्गगज से अधिक क्षैत्रफल के प्रकरणों के उपविभाजन एवं पूर्नगठन हेतु राज्य सरकार की स्वीकृति/पूर्वानुमति आवश्यक हैं। निकायों द्वारा ऐसे प्रकरणों में जिनमें भू–उपयोग परिवर्तन भी प्रस्तावित है, तथा राज्य स्तरीय भू–उपयोग परिवर्तन समिति में प्रेषित किये गये हैं। ऐसे प्रकरणों में राज्य स्तरीय भू–उपयोग परिवर्तन समिति द्वारा भू–उपयोग परिवर्तन के सम्बन्ध में लिए गये निर्णय राज्य सरकार से अनुमोदन पश्चात् जारी कर दिये गये है, तो पूर्नगठन हेतु उसी प्रकरण कों दुबारा से राज्य सरकार को प्रेषित नही किया जावें, तथा प्रकरण में भवन मानचित्र अनुमोदन की कार्यवाही नियमानुसार की जावें, यदि प्रकरण में भवन के किसी प्रावधान में शिथिलता/स्वीकृति चाही गई है, तो ही राज्य सरकार को प्रेषित किये जावें। **ले–आउट प्लान के सम्बन्ध में :–** राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प.3(90)नविवि/3/2012 दिनांक 21.06.2012 के बिन्दु संख्या 'अ' के (32) अनुसार ले–आउट प्लान अनुमोदन हेतु ले–आउट प्लान समिति का गठन किया गया हैं। जिन प्रकरणों पर राज्य स्तरीय भू–उपयोग परिवर्तन समिति द्वारा निर्णय लिया गया है, तथा राज्य सरकार से अनुमोदन पश्चात् जारी किये गये है, उन प्रकरणों में ले–आउट प्लान अनुमोदन की कार्यवाही, वरिष्ठ नगर नियोजक से तकनीकी अनुमोदन पश्चात ले–आउट प्लान अनुमोदन हेतु गठित समिति से कराया जाना होगा। ऐसे प्रकरणों को निकाय की बोर्ड बैठक में रखे जाने की अनिवार्यता नही होगी। शेष प्रकरण (राज्य स्तरीय भू–उपयोग परिवर्तन समिति के अतिरिक्त) में प्रचलन एवं नियमानुसार कार्यवाही की जानी होगी।
3.	उपरोक्त अनुसार प्रक्रियात्मक सरलीकरण का ऐजेण्डा समिति के समक्ष विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत है।

समिति का निर्णयः– उपरोक्तानुसार प्रक्रियात्मक सरलीकरण हेतु प्रस्ताव का बैठक में उपस्थित निकायों एवं नगर नियोजन विभाग के अधिकारियों से विचार विमर्श किया गया। समस्त उपस्थित अधिकारियों द्वारा प्रस्ताव को उचित मानते हुऐ अपनी सहमति व्यक्त की गई, तत्पश्चात् सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि प्रमुख शासन सचिव महोदय, स्वायत्त शासन विभाग की अध्यक्षता में गठित राज्य स्तरीय भू–उपयोग परिवर्तन समिति में अनुमोदन पश्चात् समिति की बैठक का कार्यवाही विवरण प्रमुख शासन सचिव एवं माननीय मंत्री महोदय के पत्रावली पर स्वीकृति/अनुमोदन किये जाने के पश्चात् उन प्रकरणों में नियमन की कार्यवाही में विलम्ब को देखते हुऐ 90–ए की कार्यवाही, एकल पट्टा एवं पूर्नगठन हेतु राज्य सरकार की पृथक से स्वीकृति की आवश्यकता नही होगी एवं ले–आउट प्लान का वरिष्ठ नगर नियोजक से तकनीकी अनुमोदन पश्चात् ले–आउट प्लान अनुमोदन हेतु गठित कमेटी में रखकर जारी किया जावेगा। उपरोक्त प्रकरणों को स्थानीय स्तर की बोर्ड बैठक में रखे जाने की अनिवार्यता भी नही होगी। अतः उपरोक्तानुसार प्रस्ताव को स्वीकृत किया गया।

राज्य सरकार का निर्णय :–

This Agenda is not as per the mandate of SLC, therefore not to be considered for approval. Matter be deal separately on file through concerned section.

वरिष्ठ नगर नियोजक
निदेशालय स्थानीय निकाय विभाग
राजस्थान सरकार, जयपुर